अति महत्वपूर्ण

संख्या– 1465 /60–3–2015–34(सा0)/15

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊ:: दिनांक:: 10 अगस्त, 2015

विषयः– उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष का वर्कशाप/कान्फ्रेंस के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराने तथा कोष के अन्तर्गत मास्टर ट्रेनर को धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1447/60–3–15–34(सा0)/15, दिनांक 05.08.2015 एवं संख्या–1448/60–3–15–34(सा0)/15, दिनांक 05.08.2015 (प्रतिलिपियाँ संलग्न) के द्वारा क्रमशः उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष का वर्कशाप/कान्फ्रेंस के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराने तथा कोष के अन्तर्गत मास्टर ट्रेनर को धनराशि उपलब्ध कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त निर्गत शासनादेशों के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष का वर्कशाप/कान्फ्रेंस के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराये जाने हेतु रु0–25,000/– तथा कोष के अन्तर्गत मास्टर ट्रेनर को रु0–15,000/– की धनराशि के समस्त जिलाधिकारियों को तत्काल अवमुक्त की जानी है। अतः अनुरोध है कि महिला सम्मान कोष के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि में से उपर्युक्तानुसार समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला संचालन समिति को धनराशि अविलम्ब अवमुक्त करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

Sri Tandan/Go

संख्या— 1465 (1)/60—3—15—तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला संचालन समिति, राज्य महिला सशक्तिक मिशन,उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग/चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ प्रदेश शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण,उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी,उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला संचालन समिति, उत्तर प्रदेश।
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0।
11. कोष कार्यालय चतुर्थ तल, योजना भवन, लखनऊ को बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु
12. कम्प्यूटर सेल, निदेशालय महिला कल्याण,उत्तर प्रदेश को विभागीय बेवसाइट अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव

Sri Tandan/Go